सोशल आडिट निदेशालय

ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0
7वाँ तल, पी.सी.एफ. भवन, 32, स्टेशन रोड, लखनऊ–226001
Phone No.: 0522-2630878, Fax: 0522-4003787, E-mail: socialauditup@yahoo.in, Website: socialauditup.in

पत्रांकः 211 / सो.आ.नि.–318(I) / 2014
दिनाँकः 10 जुलाई, 2014

प्रेषक,

निदेशक,
सोशल आडिट,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिला विकास अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

विषयः वित्तीय वर्ष 2014–15 की प्रथम छमाही में सोशल आडिट के संबंध में DSAC/BSAC की भूमिका ।

महोदय,

सोशल आडिट के दौरान आने वाली कठिनाइयों के निवारणार्थ निम्नांकित निर्णय लिए गए हैंः–

1. BSAC उसी ब्लाक का निवासी होता है जिसकी ग्राम पंचायतों में सोशल आडिट को फैसिलिटेट करने के लिए वह तैनात है, अतः यह संभव है कि उसे स्वयं अपनी ग्राम पंचायत के सोशल आडिट हेतु भी योगदान करना पड़े जो उपयुक्त नहीं होगा। उक्त स्थिति में निर्णय लिया गया है कि BSAC जिस ग्राम पंचायत का निवासी है, उसके सोशल आडिट को फैसिलिटेट करने के दायित्व का निर्वाह DSAC अथवा अन्य ब्लाक के BSAC द्वारा किया जाएगा।
2. यदि किसी BSAC को DSAC के पद का प्रभार भी सौंपा गया हो तो उसे कैलेण्डर में निर्धारित संख्या में अपने ब्लाक में ग्राम पंचायतों का सोशल आडिट कराने में कठिनाई होगी। अतः यह निर्णय लिया गया है कि यदि कोई BSAC अपने जनपद का प्रभारी DSAC भी हो तो आपसे प्रस्ताव प्राप्त होने पर निदेशालय द्वारा उसके विकास खण्ड में प्रति सप्ताह एक ग्राम पंचायत का सोशल आडिट पुनर्निर्धारित कर दिया जाएगा।

कृपया उपर्युक्त निर्णयों / निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें।

भवदीय,
(शंकर सिंह)
निदेशक।

पत्रांकः– / सो.आ.नि.–318(I) / 2014, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(शंकर सिंह)
निदेशक।

Arun DT